Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 04-11-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियोजित 1,00,735 बूथ लेवल एजेंट भी कर रहे हैं सहयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील, भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को शीघ्र जमा कराएं

जयपुर, 4 नवंबर। प्रदेश में मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानि एसआईआर के तहत 199 विधानसभा क्षेत्रों में 52,222 बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में अंता विधानसभा क्षेत्र को छोडते हुए कुल 52,222 बूथों के लिए 5407 सुपरवाईजर भी इनकी सहायतार्थ कार्य कर रहे हैं। 854 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ-साथ एसआईआर गतिविधि के चलते भारत निर्वाचन आयोग से 119 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी नोटिफाइड करा दिया गया है। इस तरह से अब राज्य में कुल 973 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसआईआर के कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके साथ ही 199 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 41 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, 10 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं 41 जिला निर्वाचन अधिकारी सहित वृहद प्रशासनिक तंत्र सतर्कता के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगा हुआ है। जिससे समयबद्ध पूर्ण की जाने वाली इस गतिविधि को मतदाताओं की सहुलियत के अनुसार पूरा किया जा सके।

वॉलन्टीयर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिक भी जुटे एसआईआर में

श्री महाजन ने बताया कि मतदाताओं की सहायता हेतु बीएलओ के साथ-साथ प्रत्येक बूथ पर वॉलन्टीयर्स भी लगाए गए हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी,

राजीविका सखी, एएनएम, साक्षरता प्रेरक, ग्राम पंचायत के कार्मिक, एनएसएस, एनसीसी के छात्र छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। इनके लिए आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ये गणना चरण के दौरान मतदाताओं की मैपिंग करने, बीएलओ विजिट की सूचना देने एवं गणना प्रपत्र भरवाने में सहयोग देने का कार्य तत्परता से कर सके।

राजनैतिक दलों का भी मिल रहा है सहयोग-

श्री महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट यानि बीएलए-1 एवं बीएलए-2 भी एसआईआर कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक भारतीय जनता पार्टी के 47555, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51193, बहुजन समाज पार्टी के 104, सीपीआईएम के 675, आम आदमी पार्टी के 91, आरएलपी के 110 और भारत आदिवासी पार्टी के 1007 को शामिल करते हुए कुल 1,00,735 बूथ लेवल एजेंट नियोजित किए जा चुके हैं, जिससे आम जन के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए जागरूकता लाने में सहयोग प्राप्त हो रहा है। राज्य में निर्वाचन विभाग द्वारा इनका आमुखीकरण कार्यक्रम भी जारी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो एवं आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा करा कर स्वच्छ एवं सही मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें एवं लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release **04-11-2025**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने किया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण

बीएलओ की हाउस-टू-हाउस विजिट एवं मैंपिंग कार्य की ली जानकारी

जयपुर 4 नवंबर।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के पहले दिन बारां जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ के हाउस-टू-हाउस विजिट, गणना प्रपत्र वितरण एवं बीएलओ एप में मतदाताओं की मैपिंग की स्थिति का जायजा लिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने गजनपुरा में भाग संख्या 3, बमूलिया में भाग संख्या 81 तथा नटराज नगर में भाग संख्या 36 का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद बीएलओ राकेश कुमार बैरवा, प्रीतम शर्मा एवं सोनू कुमार मोरवाल से कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली और मतदाताओं से भी संवाद किया।

निरीक्षण के दौरान मतदाताओं ने अवगत कराया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उनके नाम शामिल नहीं हैं, जबकि वे वर्तमान में वहीं निवास कर रहे हैं। इससे नई बसी कॉलोनियों में मतदाताओं की मैपिंग में कठिनाई आ रही है। बीएलओ ने भी बताया कि कई मतदाता घर पर उपस्थित नहीं मिल रहे हैं, जिससे फार्म वितरण और मैपिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता से यह जानकारी ली जाए कि वह पूर्व में कहां निवास करता था। यदि उसका पुराना

ईपिक नंबर उपलब्ध है तो उसके आधार पर नाम तलाश कर मैपिंग की जाए। जिन मतदाताओं का ईपिक नंबर नहीं है, उनके पुराने निवास स्थान की जानकारी लेकर वर्ष 2002 की मतदाता सूची से नाम ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनसे उनके या उनके माता-पिता के वर्ष 2002 में निवास स्थान की जानकारी लेकर मैपिंग सुनिश्चित की जाए।

श्री महाजन ने निर्देश दिए कि गणना प्रपत्रों का वितरण बढ़ाया जाए और अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2026 के आधार पर फार्म-6 एडवांस भी साथ में भरवाए जाएं। जिन लोगों के नाम वर्ष 2002 की सूची में नहीं मिल रहे हैं और बीएलओ ऐप पर मैपिंग नहीं हो पा रही है, उनसे तत्काल दस्तावेज नहीं लिए जाएं, लेकिन नोटिस जारी कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एसडीएम) को निर्देशित किया कि बीएलओ ऐप पर शत-प्रतिशत मैपिंग का कार्य पूरा किया जाए। फील्ड में फार्म वितरण को गति दी जाए तथा इस कार्य में वॉलंटियर्स की सहायता ली जाए। प्रत्येक ऐसे मतदान केंद्र जहां मैपिंग कम है, वहां दो प्रशिक्षित वॉलंटियर्स लगाए जाएं जो वर्ष 2002 की सूची से नाम तलाशने में सहयोग करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मतदान केंद्रों पर बीएलए नियुक्त नहीं हैं, वहां संबंधित राजनीतिक दलों से समन्वय कर शीघ्र बीएलए नियुक्त किए जाएं और उनका प्रशिक्षण 5 नवम्बर तक पूर्ण कर लिया जाए। बीएलए गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भरवाने में बीएलओ की सहायता करेंगे। ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार हेल्प डेस्क स्थापित कर मतदाताओं को एसआईआर कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी जाए।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

Media

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release 04-11-2025

अंता उपचुनाव-2025

स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए सजगता और तत्परता से करें कार्य - श्री महाजन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बारां मिनी सचिवालय में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर, 4 नवम्बर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव के लिए धरातल स्तर पर सुरक्षा प्रबंधों का बेहतर इंतजाम हो। साथ ही निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को पूरी सतर्कता और समयबद्धता के साथ सम्पादित किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन ने मंगलवार को अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के तहत बारां मिनी सचिवालय के सभागार में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की आयोजित बैठक में चुनाव संबंधी कार्यों की समीक्षा की तथा पारदर्शी एवं त्रुटिरहित चुनाव को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश प्रदान किए। बैठक में आईजी कानून व्यवस्था श्री अनिल कुमार टांक व विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग श्री सुरेशचन्द्र भी मौजूद थे। श्री महाजन ने कहा कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की लाइव निगरानी के कार्य को मॉकड्रिल के माध्यम से परखा जाए जिससे इसमें किसी भी प्रकार की समस्या को समय से पहले ही दुरूस्त करते हुए निर्बाध निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ प्रकाश के पुख्ता बन्दोबस्त सुनिश्चित किए जाए। विशेषकर चारदीवारी विहीन मतदान

केन्द्रों पर खासतौर पर सतर्कता बरती जाए। मतदान केन्द्र के आसपास शाम के समय प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे।

श्री महाजन ने राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा रैली, सभाओं आदि के लिए मांगी जाने वाली अनुमति को लेकर भी आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि अनुमति इस प्रकार दी जाए जिससे दो रैलियां एक साथ एक ही स्थान पर आपस में ना टकरा सकें। फील्ड में नियुक्त सुरक्षा बल भी इसे लेकर सतर्क रहे। भयमुक्त वातावरण में मतदान के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के अधिक से अधिक लोगों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली मतदाता पर्चियों का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। यह मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी में भी कारगर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए इकोफ्रेन्डली मतदान केन्द्रों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं हो यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को मोबाइल फोन जमा करने के कार्य को भी पूरी सतर्कता व सुरक्षा के साथ किया जाए।

बैठक में श्री महाजन ने होम वोटिंग, वेबकास्टिंग, मतदाता सूची, मतदान दल गठन, शिकायत प्रबंधन, मतदान बहिष्कार के प्रकरण, वाहन उपलब्धता, क्राउड मैनेजमेंट, प्रशिक्षण, स्वीप, मतगणना केन्द्र की व्यवस्था, पेड न्यूज, निर्वाचन व्यय, अवैध मादक पदार्थों, शस्त्र व धनराशि की जब्ती, मतदान दिवस पर सुरक्षा बलों की तैनातगी, नाका बंदी और वाहन चैकिंग आदि कार्यों के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, बारां श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने उपचुनाव को लेकर अब तक किए गए कार्यों की प्रगति तथा आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि सभी तैयारियां समयबद्ध और सजगता के साथ पूर्ण की रही है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक अंदासु ने भी निर्वाचन में सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवम्बर को मतदान होगा।